




बिहार सरकार
परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना

आदेश

पत्रांक- 4/STA.-P3-232/2012(पार्टी)/परि० 5663 दिनांक-21/9/16

सी.डब्लू.जे.सी.सं०-9161/2016 कैलाश मिश्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश एवं एम०जे०सी० (अवमाननावाद) संख्या-3320/2016 कैलाश मिश्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के आलोक में दिनांक-21.09.2016 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में पुराना सचिवालय स्थित अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार-सह-सदस्य, राजस्व पर्सद, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक अगले आदेश तक स्थगित की जाती हैं ।


राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।